HARISH CHANDRA PG COLLEGE, VARANASI

विषय : राजनीति विज्ञान

कक्षा :एम ए तृतीय सेमेस्टर

सत्र : 2020-21

टॉपिक :अंतर्राष्ट्रीय विधि

सब टॉपिक: अर्थ और स्रोत

Key Words:-

1) **अर्थ**
2) **परिभाषा**
3) **दृष्टिकोण**
4) **स्रोत**

नाम: डॉ अनुपम शाही

विभाग: राजनीति विज्ञान

संकाय: कला संकाय

Harishchandra PG College Varanasi
Mobile No. : 9415355687
Email :shahianupam69@gmail.com
Mobile No of Head :9415256740
Email: pksingh1155@gmail.com

E-CONTAINS

अंतरराष्ट्रीय कानून का अर्थ और स्रोत

अंतरराष्ट्रीय कानून शब्द का प्रारंभ ग्रोशस की पुस्तक 'लॉ ऑफ वार एंड पीस' से समझा जाता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय विधि की पूर्ण प्रणाली को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। जिस प्रकार राष्ट्र के अंतर्गत शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मनुष्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन के अभाव में समाज में अराजकता फैल सकती है उसी प्रकार राज्य के बाहरी व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के व्यवहारों को नियमित करते हैं इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों की शक्ति पर अंकुश लगाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति व्यवस्था और स्थिरता उत्पन्न करते हैं और प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों द्वारा अपनी इच्छा अथवा अंतर निर्भरता के कारण अपनी इच्छा से भी या जनमत अथवा अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के कारण इन्हें मानना भी पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून को परिभाषित करते हुए ब्रायरली ने कहा "यह कहना अनुचित ना होगा की अंतरराष्ट्रीय विधि उन अधिकारों का समूह है जो एक राज्य अपने नागरिकों के लिए दूसरे राज्यों से मांग सकता है और उन कर्तव्यों का जो परिणाम स्वरूप उसे इन राज्यों के प्रति निभाने चाहिए"।

अंतरराष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं दोतरह से है एक ग्रोशस के पहले और एक ग्रोशस के बाद ग्रोशस के पहले की परिभाषा में कैल्सन की परिभाषा प्रमुख है- "अंतरराष्ट्रीय विधि उन नियमों के निकाय का नाम है जो कि साधारण परिभाषा के अनुसार राज्यों के व्यवहारों को एक दूसरे के संपर्क में नियमित करते हैं"

लेकिन आधुनिक समय में प्राचीन परिभाषाएं मान्य नहीं हैं कारण की अंतरराष्ट्रीय कानून सतत गतिशील है और समय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार इसके सिद्धांतों का निरंतर विकास होता रहता है और आधुनिक समय में तो इसके विकास की गति कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि अब राज्यों के आंतरिक कानून से इसके संबंधों में ज्यादा निकटता दिखाई देती है इसलिए इसमें कुछ नए नियमों का समावेश भी हो गया है और इसके साथ ही सभ्य राष्ट्रों द्वारा कानून के सामान्य सिद्धांतों ने भी अंतरराष्ट्रीय कानून को समृद्ध शाली बनाया है इसलिए परंपरागत परिभाषा की जगह आधुनिक समय में एडवर्ड कॉलिन्स की परिभाषा ही सबसे सशक्त परिभाषा मानी जाती है-

एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून- "अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों का एक ऐसा समूह है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य अपने पारस्परिक संबंधों में लागू करते हैं यह नियम राज्यों को कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा व्यक्ति को अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं"

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून निरंतर विकसित होने वाले नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत

जहां तक अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों का सवाल है तो इन कानूनो का निर्माण किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित संस्था द्वारा तो हुआ नहीं है बल्कि यह एक विकासोन्मुख कानून है जो राज्यों के विकास की प्रक्रिया के साथ ही विकसित होता रहता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों पर विचार किया गया और इसके 5 मुख्य स्रोत माने गए-

1) रीति रिवाज
2) संधियां
3) पंच निर्णय एवं न्यायालय के निर्णय

4) विधिशास्त्रियों के ग्रंथ
5) सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य नियम
जहां तक रीति-रिवाजों का अभिप्राय है तो यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा विकसित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की परंपराएं विभिन्न राज्यों द्वारा अनिवार्य समझी जाने पर रिवाज बन जाते हैं और विभिन्न राज्य देश की सुरक्षा की भावना यह सुविधा की दृष्टि से इन बहारों को अपनाते हैं और यह व्यवहार ही सामान्य स्वीकृति प्राप्त करके रिवाज बन जाते हैं।
अब जहां तक संधियों का सवाल है तो वह कैसी ऐसा समझौता होती है जिससे दो या दो से अधिक राष्ट्र अपने संबंध स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में संधियों का प्रथम स्थान है संधियां भी दो प्रकार की होती हैं एक विधि निर्माण करने वाली और दूसरी संविदा संधियाँ। विधि निर्माण करने वाली संधियों का विकास तब हुआ जब प्रथाएं अनुपयुक्त साबित हो रही थी और यह भी दो प्रकार की होती हैं एक तो वह जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और दूसरी वह जो सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करती हैं जैसे जेनेवा अभिसमय, हेगअभिसमय इत्यादि।
इसी प्रकार राज्यों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य नियम भी इसके प्रमुख स्रोत हैं और इसका अर्थ उन सामान्य नियमों से है जिनको करीब- करीब सभी राष्ट्रों ने स्वीकृत करके मान्यता दी है इसका अर्थ बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायालय में प्रशासित होने वाले व्यक्तिगत कानून के सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है यदि वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर लागू होते हो इस संबंध में विधि शास्त्री यह मानते हैं कि कानून के सामान्य सिद्धांतों को उस समय अपनाया जाना चाहिए जब किसी विवाद के समय अंतरराष्ट्रीय कानून कोई मदद ना कर रहा हो और एक प्रमुख बात यह भी है कि कोई सिद्धांत सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग तभी बनता है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसे कम से कम एक वाद में स्वीकार कर ले, इनके उदाहरणों में क्षतिपूर्ति के सिद्धांत या आत्मरक्षा के सिद्धांत को रखा जा सकता है।
जहां तक न्यायिक निर्णयों का सवाल है तो यह भी अंतरराष्ट्रीय कानून के एक स्रोत के रूप में माने जाते हैं हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून इनसे बंधा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से मामलों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इन का संदर्भ देखता रहता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ
एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ
अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्त्रोत क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1) "अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है" इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं?
2) अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ और इसके स्रोतों की व्याख्या कीजिए।

REFERENCES

1)अंतर्राष्ट्रीय विधि एस के कपूर
2) अंतर्राष्ट्रीय विधि हरिमोहन जैन

DECLARATION

The content is exclusively meant for academic purpose and for enhancing

teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is

strictly prohibited. The users of the content shall not distribute, disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per knowledge.

धन्यवाद